"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण-हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199 रायपुर,, सोमवार,, दिनांक 14 जुलाई, 2008 — आषाढ़ 23,, शक 1930

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

जी.ई. रोड, सिविल लाईन्स, रायपुर 492001

रायपुर — दिनांक 14 जुलाई, 2008

उद्देश्य व कारण का विवरण : ग्रिड के साथ कनेक्टिवीटी के लिए उपयुक्त उपाय उपलब्ध कराकर तथा किसी व्यक्ति को विद्युत विक्रय, तथा वितरण लाईसेंसी के क्षेत्र में विद्युत के कुल उपभोग के प्रतिशत ऐसे स्त्रोत से विद्युत क्रय के लिए विनिर्दिष्ट कर एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स से विद्युत जनरेशन तथा को—जनरेशन को बढ़ावा देने राज्य आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(इ) आदेष देती है राष्ट्रीय विद्युत नीति (नीति के पैरा 5.12.1) में भी एनर्जी के ऐसे स्त्रोत पर आधारित विद्युत जनरेशन को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अधिनियम की धारा 86(1)(इ) के उपबंधों के अनुसरण में टेरिफ नीति भी खुदरा टेरिफ पर इसका प्रभाव क्षेत्र में ऐसे स्त्रोत के उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे स्त्रोत से एनर्जी क्रय करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत एसईआरसी ने तय कर दिया है।

क्रमांक 25/सी.एस.ई.आर.सी./2008 — उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, अधिनियम की धारा 86 (1) (इ) सहपठित अधिनियम की धारा 181 के अंतर्गत आयोग में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एतद् द्वारा आयोग निम्नलिखित विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर वितरण लाईसेंसी द्वारा उर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से पावर प्राप्ति रेग्यूलेट करने, बनाती है।

1. लघु शीर्ष, विस्तार तथा आरम्भ

i) ये विनियम, '' छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की प्राप्ति) विनियम, 2008'' कहलावेंगे।

ii) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

iii) ये विनियमों छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं

2.1 इन विनियमों में, जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो :—

i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36 अधिनियम)।

ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग** है।

iii) ''लाईसेंसी'' से अभिप्रेत है, अधिनियम में यथा परिभाषित वितरण लाईसेंसी से है।

iv) ''क्रय की मात्रा'' से अभिप्रेत है, इन विनियमों में यथा उल्लिखित इसकी कुल आवश्यकता के प्रतिशत पर व्यक्त वितरण लाईसेंसी के द्वारा क्रय की जाने वाली अपेक्षित रिन्यूएबल सोर्स से विद्युत के शेयर, से है। रिन्यूएबल सोर्स पर आधारित जनरेटिंग केन्द्र से सभी सीधे क्रय का योग ही मात्रा होगी।

v) ''नवीकरणीय स्त्रोत'' का अभिप्राय विद्युत पैदा करने एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स जैसे लघु हाईडल, विन्ड, सोलर, बायोमास, बगास आधारित को—जनरेशन, शहरी/नगरीय वेस्ट अथवा अन्य ऐसे स्त्रोत यथा मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी (एमएनआरई) भारत शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित, जो सामान्यतः अक्षय है तथा जिसे समय की अल्पावधि में प्राप्त किया जा सकता है।

vi) स्माल हाईडल प्लांट (एसएचपी) से अभिप्राय 25 मेगावाट स्थापित क्षमता के हाईडल पावर स्टेशन है।

vii) ''राज्य'' का अभिप्राय छत्तीसगढ़ राज्य से है।

vii) इन विनियमों में उपयोग किए गए शब्द एवं अभिव्यक्ति तथा इन विनियमों में जिन्हें परिभाषित नही किया गया, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में है। यहां उपयोग किए गए अभिव्यक्ति परन्तु इन नियमनों अथवा अधिनियम में स्पष्टतः जो परिभाषित नही है, परन्तु सक्षम विधायिका द्वारा किसी विधि के अंतगर्त पारित है तथा राज्य के विद्युत उद्योग में प्रभावशील है, का अर्थ वही होगा, जो ऐसे विधि में लिखित है। यहां उपयोग की गई अभिव्यक्ति परन्तु नियमन में अथवा अधिनियम में अथवा सक्षम विधायिका द्वारा पारित किसी विधि में स्पष्टतः परिभाषित है, का अर्थ वही होगा, जैसा सामान्यतः विद्युत उद्योग में व्यवहृत है।

3. लाईसेंसी द्वारा क्रय की जाने वाली, नवीकरणीय स्त्रोत से उत्पादित विद्युत की अपेक्षित मात्रा

3.1 यथा निम्नानुसार विभिन्न रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से विद्युत जनरेटिंग केन्द्रों से डिस्ट्रीब्यूशन के अपने अपने क्षेत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल विद्युत खपत का न्यूनतम प्रतिशत लाईसेंसी क्रय करेगाः—

रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस	लाईसेंसी द्वारा प्राप्त करने विद्युत की न्यूनतम मात्रा यथा कुल खपत का प्रतिशत
बायोमास आधारित संयंत्र	5%
लघु हाईडल संयत्र	3%
सोलर एनर्जी (पीवी तथा पीवी थर्मल प्रणाली सहित) विन्ड, बगास आधारित को—जनरेशन तथा अन्य	2%

''बशर्ते कि 10 प्रतिशत के समग्र क्रय आब्लिगेशन के अधीन, लाईसेंसी, पर्याप्त कारणों से तथा आयोग के अनुमोदन से, एक या एकाधिक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रत्रोतों से, क्रय का प्रतिशत परिवर्तित कर सकता है।''

3.2 समय समय पर आयोग द्वारा तय टेरिफ में ऐसे क्रय किये जावेंगे। राज्य के बायोमास आधारित पावर संयंत्र अथवा लघु हाईडल संयंत्र क लिए कमीशन के आदेश के अनुसार लाईसेंसी द्वारा पहले ही अनुबंधित क्रय की गणना ऊपर दिए क्रय आब्लिगेशन के प्रयोजन के लिए किया जावेगा।

3.3 टेरिफ फाईलिंग में आगामी वर्ष के लिए रिन्यूएबल सोर्स से जनरेटेड विद्युत की प्रस्तावित मात्रा प्रत्येक लाईसेंसी को बतानी होंगी। इन नियमनों के खण्ड 3.1, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित एनर्जी के खपत में समान दर का एसकेलेटेड के अनुसार प्रस्तावित क्रय की मात्रा होगी।

3.4 रिन्यूएबल सोर्स से क्रय की मात्रा प्रकट करते समय, लाईसेंसी को बताना होगा कि किस सोर्स से वह उल्लिखित मात्रा खरीदने जा रहा है। यथा संभव लाईसेंसी तथा किसी एक स्रत्रोत से क्रय की मात्रा की कमी की भरपाई दूसरे स्रत्रोत से क्रय करके कर सकता है। अपने आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर रिन्यूएबल सोर्स से ही प्रस्तावित विद्युत मात्रा क्रय का कोई आधार नही होगा और न ही यह स्वीकार्य होगा।

3.5 किसी वर्ष में ऐसे सोर्स की अनुपलब्धता तथा कमी के कारण आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर अपेक्षित मात्रा क्रय करने की लाईसेंसी की असमर्थता की स्थिति में शार्टफाल की सीमा तक लाईसेंसी द्वारा आपूर्ति के अनुज्ञप्त क्षेत्र के बाहर से रिन्यूएबल सोर्स से आपूर्ति करनी होगी, परन्तु राज्य के भीतर से ही।

3.6 न्यू सोर्स से अनुबंध करते समय जनरेटिंग केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि को प्राथमिकता देनी होगी।

3.7 रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी क्रय के लिए लाईसेंसी को उपयुक्त भुगतान सुरक्षा मेकानिजम उपलब्ध कराना होगा।

3.8 इन नियमनों के धारा 3.1 में उल्लिखित उपरोक्त मात्रा तथा से अधिक एनर्जी रेन्यूएबल सोर्स से जनरेटेड विद्युत प्राप्त करने लाईसेंसी पर कोई प्रतिबंध नही है, परंतु ऐसे अतिरिक्त क्रय अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार बिडिंग प्रोसेस द्वारा ही किया जाना चाहिये।

3.9 आयोग 3 वर्ष पश्चात् किसी अनुज्ञप्तिधारी के नवीकरण स्त्रोतों से क्रय करने की आबद्धता (ऑब्लीगेषन) का पुनर्विलोकन करेगा। कंडिका 3.1 में उल्लेखित क्रय–आबद्धता तब तक वैद्य रहेगी जब तक उसे आयोग द्वारा पुनरीक्षित न किया जाये।

3.10 कंडिका 3.1 के अंतर्गत क्रय–आबद्धता का अपालन इन विनियमों का उल्लंघन माना जायेगा जोकि अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है।

4. कनेक्टिविटी / ट्रांसमीशन / व्हीलिंग हेतु प्राथमिकता :

4.1 ग्रिड प्रणाली के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के कनेक्टिविटी / ट्रांसमीशन / व्हीलिंग को लाईसेंसी को प्राथमिकता देनी ही चाहिये। स्थापित क्षमता पर बिना ध्यान दिये रिन्यूएबल सोर्स से विद्युत उत्पादन करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी लाईसेंसी के ट्रांसमीशन प्रणाली तथा/अथवा वितरण प्रणाली अथवा ग्रिड अथवा किसी अन्य केप्टिव उपयोगकर्ता तथा यथा प्रकरण तीसरें–पक्ष के ओपन एक्सेस में वरीयता प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर, एसटीयू अथवा ट्रांसमीशन लाईसेंसी अथवा वितरण लाईसेंसी, यथा संभाव्य आयोग द्वारा अधिसूचित निष्पादन रेग्यूलेशन के मानक के अंतर्गत उल्लिखित समयावधि के भीतर उपयुक्त इंटरकनेक्शन सुविधा उपलब्ध करावेगा। ऐसे इंटरकनेक्शन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित राज्य ग्रिड संहिता का भी अनुपालन करेंगे।

5. कठिनाई दूर करने की शक्ति

5.1 आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर इन की समीक्षा कर सकता है तथा इन के उपबंधों के उपयोग करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को हटाने / दूर करने उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

6. संशोधन शक्ति

समय समय पर इन नियमनों के प्रावधानों में आयोग एड (जोड़), वेरी(परिवर्तन), आल्टर (बदल), माडिफाई (रूपांतरित) अथवा संशोधन कर सकता है।

टीपः इन विनियमों के हिन्दी संस्करण के प्रावधानों तथा अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के प्रावधानों के मध्य निर्वचन अथवा अर्थान्वयन में कोई अंतर होने पर पष्चातवर्ती लागू होगा तथा इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(एन.के. रूपवानी)
सचिव